

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैंप कोर्ट)

कैंप कोर्ट का स्थान.....लपन.....

दिनांक :- 09/11/23

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लपन द
 मू-अभिलेख निरीक्षण सिद्ध की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 मू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्री 256 तहसील कपासन जिला
 चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 112
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दशमद
 के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	श्री 256	112	भायु पुत्र नार 1/3 श्रीत ना-देव (वार्ड 11)	भायुलाल पुत्र नार 1/3 श्रीत ना-देव (वार्ड 11)



(ds)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
 दिनांक 09/11/23

क्रमांक / लपन/2023/256
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, को भजे कर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दशमद को सूचनार्थ।
 किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली।

(ds)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
 दिनांक 09/11/23